


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

प्रकरण संख्या 217/25
 दायर क्रि०ड 21/09/25
 विवेक क्रि०ड 21/09/25

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

प्रशासन गाँवों के संग-2021

राजस्व ग्राम <u>पाणोली</u> प०म० <u>पाणोली</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>पाणोली</u> तहसील- <u>रूपाना</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	582	1014 833	0.38 0.74	महोदय जी, खातेदार हेमा के वारीदान का नाम भोगु, श्यामा पिता हेमा पति भाट के हैं।	महोदय जी, खातेदार भोगु, श्यामा पिता हेमा का नाम शुद्ध कर भोगु के नाम के नाम के नाम भोगीनाल, श्यामनाल पुत्र हेमा के नाम के नाम के हैं।	महोदय जी श्यामा
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत <u>2024-2022</u> के			साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हल्का <u>पाणोली</u> भू०अ०नि० <u>पाणोली</u>	प०हल्का <u>पाणोली</u> भू०अ०नि० <u>पाणोली</u>
उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।					प०हल्का <u>पाणोली</u> भू०अ०नि० <u>पाणोली</u>	राजस्व अधिकारी <u>पाणोली</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।
दिनांक <u>26/9/25</u> ह० पटवारी प०म० <u>पाणोली</u>			दिनांक <u>26/9/25</u> ह० भू०अ०नि० वृत्त <u>पाणोली</u>		ह० <u>26/09/25</u> तहसीलवा अधिकारी जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)	उपखण्ड अधिकारी